

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न)।


पटना, दिनांक : 11-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 55,51,800/- (पचपन लाख एकावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-15.05.17, 51(7)ब दिनांक-30.08.17 एवं 66(7)ब दिनांक-21.09.17 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 55,51,800/- (पचपन लाख एकावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

- सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।
- सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
- इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।
- कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी/पोषाक	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(13-01)	(13-06)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना	100000	120000	15000	62000	1800	1200	300000	0	0	300000	1137/11.11.17
2	निदेशक, क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र, राजगीर, नालन्दा	1300000	1690000	195000	0	23400	15600	3224000	0	0	3224000	36/13.10.17
3	सिविल सर्जन, पटना	250000	325000	40000	5000	5000	5000	630000	5000	9400	644400	7526/16.9.17
4	सिविल सर्जन, सहरसा	20000	19000	2000	0	400	400	41800	0	0	41800	2179/9.11.17
5	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	420000	546000	63000	0	7560	5040	1041600	0	0	1041600	2679/16.9.17
6	सिविल सर्जन, दरभंगा	120000	156000	18000	0	3000	3000	300000	0	0	300000	1858/16.9.17
	कुल योग:-	2210000	2856000	333000	67000	41160	30240	5537400	5000	9400	5551800	

(पचपन लाख एकावन हजार आठ सौ) रू० मात्र /

109 (7) 8
11-12-17

(Signature)
सरकार के विशेष सचिव / 11/12/17

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वैतन (0002-01-01)	60300000	17325000	2210000	19535000	40765000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	78994000	23206500	2856000	26062500	52931500
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	11294000	3704000	333000	4037000	7257000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	354000	120000	67000	187000	167000
5	शिकिस्ता भत्ता (0002-01-06)	1017000	370490	41160	411650	605350
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	975000	313460	30240	343700	631300
	योग 20-221006.003.0002.01 वैतन	152934000	45039450	5537400	50576850	102357150
7	शिकिस्ता प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	3457	0	3457	196543
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	100000	40000	0	40000	60000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	200000	18000	5000	23000	177000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	100000	0	100000	100000
11	दूरभाष (0002-13-03)	12000	0	0	0	12000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	250000	0	0	0	250000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	0	0	0	100000
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	100000	9400	9400	18800	81200
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	108000	0	0	0	108000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03) *	700000	700000	0	700000	0
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	100000	100000	0	100000	0
18	दवा भंडार (0002-21-02)	100000	100000	0	100000	0
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002-34-01)	26000	0	0	0	26000
20	मशीने एवं उपकरण (0002-52-01)	100000	100000	0	100000	0
	कुल योग:-	155230000	46210307	5551800	51762107	103467893

109 (7) 9

11-12-17

सरकार के विशेष सचिव 11/12/17

(5)